मान्नीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश

पुनरीक्षण क्रं0 ..../2013   R 2082-II/13   सन्–2013

शीतल पिता मंगलिया काछी उम्र–70 बर्ष पेशा–काश्तकारी नि0

ग्राम–हथकुरी, तह0–पवई, जिला–पन्ना म0प्र0————————निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1. मुस0 खुदिया बेबा भडुआ काछी उम्र–65 बर्ष पेशा–गृहकार्य नि0

ग्राम–हथकुरी (पो0 हथकुरी) तह0–पवई, जिला–पन्ना म0प्र0

2. बुच्ची उर्फ जवाहर पिता भुदुआ काछी उम्र–38 बर्ष पेशा–काश्तकारी

नि0 ग्राम–हथकुरी (पो0 हथकुरी), तह0–पवई, जिला–पन्ना म0प्र0————————उत्तरार्थी

श्री आमित भार्गव आधि० द्वारा आज दि 30-5-13 को प्रस्तुत 30-5-13 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 निगरानी विरूद्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय पवई के न्यायालय के अपी/प्र0क्रं0–17/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 09–04–2013 के विरूद्व।

मान्यवर,

आवेदकगणों का निम्नलिखित निवेदन है कि :–

Bhargava 30-5-13 अमित भार्गव (आधि०)

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि आवेदक शीतल प्रसाद नें तहसीलदार महोदय पवई के न्यायालय में एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि सर्वे नं0 2386, 2387, 2411, 2413, 2414, 2415 रकवा क्रमशः 1.90, 1.70, 1.30, 1.70, 0.80, 0.44 कुलकिता 6 कुल रकवा 7.24 आरे कुल लगान 15.56 पैसा स्थित ग्राम हथकुरी तह0–पवई, जिला–पन्ना की जमीन आवेदक एवं अनावेदकगणों के नाम सहखाते के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है आवेंदक एवं अनावेदकगणों के मध्य आपसी बटवारा पूर्व में हो चुका हैं। जिसमें आवेदकगणों को 2386/1, 2388/1, 2411, 2413/1, 2414, 2415 रकवा क्रमशः 0.95, 0.85, 1.30, 0.50, 0.80, 0.44 मिली है तथा अनावेदकगणों नें अपनें हिस्से की जमीन आ0नं0 2346 जुज, 2387 जुज, 2413 जुज रकवा क्रमशः 0.95, 0.85, 0.60 हैक0 का बिक्रय कर दिया है इसलिए उपरोक्त जमीन पर अनावेदकगणों का कोई भी हक और हिस्सा नहीं है। इसलिए इनका नाम खाते से पृथक किया जाये।

2. यह कि न्यायालय तहसीलदार पवई कें द्वारा प्रकरण 12/अ–27/2010–11 दर्ज किये जा कर दिनांक 22–10–2011 को बटवारा आदेश पारित किया। जिसकी अपील अनावेदकगणों नें मान्नीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय पवई के समक्ष 17–01–2013 को प्रस्तुत की जिसमें अनावेदकगणों द्वारा प्रस्तुत अपील 14 माह से अधिक देरी से की गई थी। जिसके संबंध में अनावेदकगणों द्वारा धारा 5 म्यांद अधिनियम का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र में यह आधार लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22–10–2011 की जानकारी अपीलांटगणों को नहीं थी। नबम्बर 2012 में हल्का पटवारी फसल का निरीक्षण करने खेत पर

32.

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2082—दो/2013 जिला पन्ना

शीतल विरूद्ध मुस0 खुदिया आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18—2—2019	आवेदक की ओर से श्री अमित भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदकगण की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पवई जिला पन्ना के प्रकरण कमांक 17/अपील/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 09—4—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को कलेक्टर जिला पन्ना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 18/02/2019	